# निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 82/2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 20/08/2024
निर्णय दिनांक – 20/08/2025

अनवान

1. चन्दर रावल पिता बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोट्डा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. भवरबाई पत्नि बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. यरिया कंवर पुत्री बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. फुलकंवर पुत्री बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. नरेन्द्र रावल पिता बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. महेन्द्र रावल पिता बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
7. शान्ता देवी पत्नि मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. प्रवीण रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. विमलेश रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. पुजा पुत्री मोहन रावल जाति जोगी आयु नाबालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरीये संरक्षक माता शान्ता देवी पत्नि मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

**वादीगण**

बनाम

1. पारस नाथ पिता शंकरनाथ जाति जोगी आयु बालिग निवासी भोपाल सागर तहसील भोपाल सागर जिला चित्तौडगढ फौत जरीये विधिक वारीस
   1 जितेन्द्र पिता पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ फौत जरीये वारीसान पार्श्वनाथ

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

1 (1) शान्ती योगी पत्नी जितेन्द्र आयु बालिग निवासी मकान नम्बर 34. बाला जी नगर, हाउसिंग बोर्ड, उषा ड्राईवींग स्कुल सेती चित्तौडगढ 312204

1 (2) देवल योगी पिता जितेन्द्र आयु बालिग निवासी मकान नम्बर 34, बाला जी नगर, हाउसिंग बोर्ड, उषा ड्राईवींग स्कुल सेती चित्तौडगढ 312204

1 (3) वरोनिशा उर्फ ईशा पुत्री जितेन्द्र आयु नाबालिग जरीये संरक्षक माता श्रीमती शान्ती योगी पत्नि श्री जितेन्द्र निवासी मकान नम्बर 34, बाला जी नगर, हाउसिंग बोर्ड, उषा ड्राईवींग स्कुल सेती चित्तौडगढ 312204

2. विशाल पिता पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
3. मधुमती पत्नी पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
4. सीमानाथ पुत्री पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
5. सोनिया पुत्री पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
6. निशा पुत्री पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
7. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरीये प्रतिनिधि राज्य सरकार
8. उप पंजीयक देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरीये प्रतिनिधि राज्य सरकार

**उपस्थित :–**
**वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता**
**प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित।**

**वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**: : निर्णय : :**

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटडा पटवार सर्कल पारडी भु अभिलेख क्षेत्र पारडी तह० देवगढ जिला राजसमन्द के खाता सं0 41 के खसरा नं0 42/1 रकबा 30 बिघा 18 विस्वा खसरा नं0 42/3 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा खसरा नं0 42/4 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, खसरा नं0 43 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा खसरा नं0 77 रकबा 9 विस्वा, खसरा नं0 78 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा खसरा नं0 79 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खसरा नं0 211 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खसरा

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

नं0 212 रकबा 14 विस्वा, खसरा नं0 213 रकबा 4 बीघा, खसरा नं0 214 रकबा 3 विस्वा आराजी चाह कुल किता 11 रकबा 54 बीघा 05 विस्वा भूमि वादीगण की पुश्तैनी स्थित है। वादग्रस्त आराजियात बालीरावल गुरु जोत रावल निवासी कोटडा तह० देवगढ खुद कास्त भूमि थी एव बालीरावल गुरू जोत रावल की मृत्यु ग्राम कोटडा में दिनांक 09.08.99 को हुई। वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही बालीरावल गुरू जोतरावल की कब्जे कास्त उपयोग उपभोग मे रही एव श्री बाली रावल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि बाली रावल जी के वारीसान वादीगण के कब्जे कास्त एव उपयोग उपभोग मे बिना किसी बाधा के लगातार निरन्तर चली आ रही है। नामान्तरण सं० 16 दिनांक 31.07.1960 को ग्राम पंचायत पारडी द्वारा गलत रूप से पटवार हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरण को स्वीकृत कर वादग्रस्त आराजियात पारसनाथ गुरु बाली रावल के नाम दर्ज कर दी। उक्त आराजियात जो दर्ज की गई उसमे दर्शाया गया कि जबानी वसीयत से बाली रावल गुरु जोत रावल की खुदकास्त भूमि में से 54 बीघा 5 विस्वा भूमि श्री पारस नाथ गुरू बाली रावल को श्री बाली रावल का चेला रख प्रदान की गई। जब कि बाली रावल ने कभी भी किसी को चेला नही रखा न ही कोई जबानी वसीयत या वसीयत की गई। बाली रावल जी ने अपने जीवनकाल में न तो कभी पारस नाथ को चेला रखा न ही कोई जबानी वसीयत लिखी। उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो नामान्तरण प्रारम्भ से ही विधीक दृष्टि से शुन्य है। कानुनी दृष्टि से जबानी वसीयत न तो कोई होती है न ही कभी अमल मे लाई जा सकती है। एव वसीयत व्यकित के जीवन काल में अमल में नहीं लाई जाकर उसकी मृत्यु के बाद उपयोग में आती है। श्री बाली रावल जी की मृत्यु 09.08.1999 को हुई जब कि उक्त शुन्य नामान्तरण गलत रूप से 31.08.1960 को बाली रावल जी के जीवन काल में ही खोल दिया गया। जिसकी जानकारी न तो बाली रावल जी को थी न ही उनके वारीसान को हुई। बाली रावल जी के वादीगण वारीसान है। बाली रावल जी ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना चेला नही रखा। नामान्तरण खोले जाने के समय श्री बाली रावल जी की आयु 35 वर्ष के लगभग थी एव उक्त छोटी आयु में कोई व्यक्ति किसी को चेला नहीं रखता न ही रखने की सोचता है। बाली रावल जी स्वयं शादीशुदा थे एव किसी प्रकार का चेला रखने की उनको आवश्यकता नहीं थी एव जिस पारस नाथ को नाबालिग चेला बता नामान्तरण खोला गया। वह

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

नामान्तरण अवैद्य, शुन्य प्रभावहीन व्यर्थ एव निरर्थक है। शंकरनाथ ने पटवार हल्का से मिलीभगत कर गलत रूप से फर्जी तरीके से नामान्तरण पारसनाथ गुरु बाली रावल के नाम दर्ज करा दिया गया। उक्त भूमि बाली रावल जी की खुद कास्त भूमि थी जिसके वादीगण वारीस होने से अधिकारी है। नामान्तरण सं० 16 जो ग्राम पंचायत पारडी द्वारा स्वीकृत किया गया वह प्रारम्भ से ही निरर्थक व शुन्य है। जिसे अलग से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। विधीक रूप से जबानी वसीयत, बिना हस्ताक्षरित वसीयत का कोई महत्व नहीं है। जो नामान्तरण खोला गया वह विधीक रूप से शुन्य निरस्ती नामान्तरण है। वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से कास्त कर रहे है। अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है। वादीगण के पिता बालीरावल जी के समय से ही उक्त भूमि बालीरावल जी के एव उनके बाद वादीगण के उपयोग में है. वादीगण ने उक्त भूमि को विकसीत कराने एव भूमि पर कास्त योग्य बाउन्ड्री कुए पर ओडी आदि निर्माण लाखो रूपये खर्च किये वादीगण की उक्त भूमि पुस्तैनी होकर वादीगण उकत भूमि अपने नाम कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 1 कभी भी न तो बाली रावल का चेला रहा न ही वादग्रस्त आराजियात पर आया प्रतिवादी सं० 1 अपने पिता के यहा भोपाल सागर जिला चितौडगढ में निवास करता है एवं वही अपने पिता के साथ रहता हुआ उनकी समस्त सम्पति का उपयोग उपभोग कर रहा है। श्री पारसनाथ का बाली रावल से न तो कभी गुरू चेला या पिता पुत्र का सम्बन्ध था न रहा। प्रतिवादी सं० 2 व 3 मे प्रतिवादी सं० 2 राजस्व रिकोर्ड के संधारक होने से आवश्यक पक्षकार एव प्रतिवादी सं० 3 उप पंजियक को बनाया गया है। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। जिससे प्रतिवादी सं० 2 व 3 को धारा 80 सी० पी० सी० का सूचना पत्र दिये जाने तक वाद का प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा। जिससे यह बात बिना विधिक सूचना पत्र के आवश्यक प्रकृति का होने से संस्थित किया जा रहा है। जिसकी अनुमति हेतु अलग से 80 (2) सी० पी० सी० का प्रार्थना पत्र प्रेषित, किया जा रहा है। प्रतिवादी सं० के नाम राजस्व रिकोर्ड में भुमि दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठा बेजा दबाव डाल पेशा ऐठने की गर्न से उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमदा है। भूमाफिया प्रतिवादी सं० 1 को उकसा भूमि का बिकाव कराने की कोशिश कर रहे है। एवं वादीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन कर सकते हैं। जब कि उक्त भूमि में पारस नाथ का कोई हक

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

हकुक नहीं है। इसलिये उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है साथ ही गलत रूप से राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण सं० 1 का नाम हटाया जाना आवश्यक होने से वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड रहा है। आज से करीब 10 रोज पूर्व जब एक भूमाफिया को लेकर प्रतिवादी सं० 1 वादीगण की भूमि पर आया तब वादीगण ने पूछा की आज यहा कैसे आये हो तो प्रतिवादी सं० 1 ने बताया की उक्त भूमि में मेरे नाम है तब वादीगण दिनांक 30.08.2016 को पटवार हल्का पारडी से सम्पर्क कर राजस्व रिकोर्ड की नकले ली तब ज्ञात हुआ कि गलत रूप से प्रतिवादी सं० 1 का नाम खाते में दर्ज है। नामान्तरण की नकले ली तब उक्त राजस्व रिकोर्ड की गलती की जानकारी हुई एवं वादीगण की उक्त भूमि में गलत रूप से प्रतिवादी सं० 1 का नाम हटाने एव वादीगण के नाम दर्ज कराने की घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। जो निश्चित समय अवधि में है और यही वाद हेतुक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम ग्राम कोटडा पटवार सर्कल पारडी भु अभिलेख क्षेत्र पारडी तह० देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता सं0 41 के खसरा नं0 42/1 रकबा 30 बिघा 18 विस्वा खसरा नं0 42/3 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा खसरा नं0 42/4 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, खसरा नं0 43 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा खसरा नं0 77 रकबा 9 विस्वा, खसरा नं0 78 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा खसरा नं0 79 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, खसरा नं0 211 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खसरा नं0 212 रकबा 14 विस्वा, खसरा नं0 213 रकबा 4 बीघा, खसरा नं0 214 रकबा 3 विस्वा आराजी चाह कुल किता 11 रकबा 54 बीघा 05 विस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण चन्दररावल पिता बाली रावल, श्रीमति भवरबाई पत्नि श्री बालीरावल, श्रीमति दरिया कंवर पुत्री श्री बालीरावल. श्रीमति फुलकंवर पुत्री श्री बालीरावल नरेन्द्ररावल पिता श्री बालीरावल, श्री महेन्द्ररावल पिता श्री बालीरावल श्रीमति शान्ता देवी पत्नि श्री मोहनरावल श्री प्रवीण रावल पुत्र श्री मोहनरावल, श्री विमलेश रावल पुत्र श्री मोहनरावल, सुश्री पुला पुत्री श्री मोहनरावल, जरीये संरक्षक माता श्रीमति शान्ता देवी पत्नि श्री मोहनरावल जाति जोगी का नाम सम्पूर्ण आराजियात मे खातेदारी अधिकारों से दर्ज रिकोर्ड राजस्व रिकॉर्ड से जावे। दर्ज किये जाने की घोषणा व इसी आशय की डिक्री प्रदान की।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1(1), 1(2), 1(3) से लगायत 6 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1(1), 1(2), 1(3) से लगायत 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही एवं जवाब के अवसर बन्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 07 एवं 08 के विरूद्ध कोई दाद नही चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

वादपत्र के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु निम्न तनकीयात विचरित किया गया।

1. आया वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित ग्राम कोटडा पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 41 आराजी संख्या 42/1, 42/3, 42/4, 43, 77, 78, 79, 211, 212, 213, 214 कुल किता 11 कुल रकबा 54 बीघा 05 विस्वा भूमि वादीगण की संयुक्त पुश्तैनी भूमि स्थित है। जिसे वादीगण अपने नाम विरासत से खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजीयात पर बालीरावल गुरू जोत रावल की मृत्यु दिनांक 09.08.1999 के बाद से बालीरावत के वारीसान के काबिज है। मृत्यु से पूर्व वसीयत प्रभाव हीन शून्य है और जबानी वसीयत प्रमाणित नहीं है।

जिम्मे वादी

3. आया नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 31.07.1960 को ग्राम पंचायत पारड़ी द्वारा खोला गया जो शून्य व प्रभावहीन है।

जिम्मे वादी

4. आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

5. अनुतोष।

उक्त तनकीयों को प्रमाणित करने हेतु वादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में PW-1 नरेन्द्र नाथ पिता बालीरावल, PW-2 रामलाल पिता गणेश, PW-3 जीवराम पिता बिजल के शपथ पत्र पेश किये गए शपथ पत्र को परीक्षित करवाया गया और दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 खाता संख्या 41 जमाबन्दी संवत् 2070–73 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श संख्या–2 नामान्तरण संख्या 16 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श –3 खाता संख्या 40 जमाबन्दी संवत् 2076 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 ग्राम बुल पटवार हल्का बुल तहसील भोपालसागार

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

के खाता संख्या 152 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श—5 ग्राम दातडा पटवार हल्का दातडा तहसील अंटाली जिला भीलवाडा के खाता संख्या 356 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाये।

**तनकी संख्या 01 से 04 के क्रम में —**

साक्ष्य एवं विधि के मिश्रित होने के कारण उक्त तनकी संख्या 01 से 04 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। तनकी संख्या 01 से 04 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है।

वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किए है कि वादग्रस्त आराजियात बालीरावल गुरू जोत रावल निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ की काश्त भूमि थी। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही बालीरावल गुरू जोतरावल की कब्जे में रही है एवं बालीरावल द्वारा उपयोग—उपभोग की गई है। बालीरावल की मृत्यु दिनांक 09.08.1999 को हुई है। बालीरावल की मृत्यु के बाद उक्त वादग्रसत आराजियात बालीरावल के वारीसान के कब्जे में रही है एवं वारीसान द्वारा निरन्तर उपयोग—उपभोग किया जा रहा है तत्कालीन पटवारी द्वारा भरे गए गलत नामान्तरण 16 दिनांक 31.07.1960 को ग्राम पंचायत पारडी द्वारा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात को पारसनाथ गुरू बाली रावल के नाम दर्ज कर दी। इसमें बताया गया है कि उक्त आराजियात को जुबानी वसीयत से पारस नाथ को बाली रावल को चेला रखा गया है। जबकि बालीरावल खुद शादीशुदा थे बाली रावल की मृत्यु सन् 1999 में हुई और नामान्तरण गलत रूप से 31.08.1960 को बाली रावल के जीवन काल में ही खोल दिया गया। जिसकी जानकारी ना तो बाली रावल को थी ना ही उनके वारिसान को थी। जबानी वसीयत बिना हस्ताक्षर वसीयत है जो अवैध एवं निरर्थक है। गलत नामान्तरण से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय करने की कोशिश की जा रही है। उक्त आराजियात को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः—

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

1. *88. Suits for declaration of right—*
2. *(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*
3. *(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.*
4. *(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.*
5. *(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.*

वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत सामान्य रूप से वसीयत लिखित होनी चाहिए। जबानी वसीयत का कोई कानूनी आधारी नहीं है। राजस्थान खातेदारी अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकार सामान्य वारिसों को ही मान्य किया गया है।

वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से यह सिद्ध हुआ किः—

01 नामांतरण बिना वैधानिक आधार के दर्ज हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने Balwant Singh Vs. Daulat singh(1997) 7 SCC 137 में कहा है कि " केवल नामान्तरण किसी को वैध मालिकाना हक नहीं देता।"

02 विरासत केवल वैध उत्तराधिकारियों को मिलती है।

Bhagwan Kaur Vs. Kartar Kaur, AIR 1994 SC 201 में माना गया कि "यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकार का दस्तावेज/वसीयत प्रस्तुत करें तो वह संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता।

03 चेले/गुरू परंपरा में अधिकार केवल तब मान्य होता है जब विधिवत नियुक्ति हो।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

राजस्थान उच्च न्यायालय ने Shivlal Vs. State of Rajasthan, 2003 (2) RLR 115 में कहा कि "गुरू–चेले की परंपरा में संपत्ति का अधिकार तभी होगा जब नियुक्ति प्रमाणित व साक्ष्ययुक्त हो।"

इसी प्रकार प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, वंशावली, गवाहों के बयान तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से यह तथ्य स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्व0 बालीरावल गुरू जोत रावल ने न तो किसी को चेला नियुक्त किया और न ही कोई लिखित वसीयत की। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि पारसनाथ वैध चेला अथवा उत्तराधिकारी हैं। नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 31.08.1960 विधि विरूद्ध एवं निरस्त करने योग्य है।

प्रकरण के विधिपूर्ण निर्णय के संबंध में न्यायालय द्वारा निर्धारित तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किए गए हैं, अनुतोष का यह बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वांछित अनुतोष पाने के अधिकारी हो जाते हैं। वादीगण का वाद प्रमाणित पाया गया है। अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है।

**–::आदेश::–**

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्ध करने में सफल रहने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडा पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 42/1, 42/3, 42/4, 43, 77, 78, 79, 211, 212, 213, 214 कुल किता 11 कुल रकबा 54 बीघा 05 विस्वा भूमि के जिसके नवीन खाता संख्या 40 आराजी संख्या 112, 113, 114, 115, 264, 265, 266, 267, 75 कुल किता 09 कुल रकबा 11.7200 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि में किसी बाधा साथ ही

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी को अपनी भूमि में किसी बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

# मूल वाद मे डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )

## न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 82/2024

### अनवान

1. चन्दर रावल पिता बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. भवरबाई पत्नि बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. यरिया कंवर पुत्री बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. फुलकंवर पुत्री बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. नरेन्द्र रावल पिता बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
6. महेन्द्र रावल पिता बालीरावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
7. शान्ता देवी पत्नि मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
8. प्रवीण रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. विमलेश रावल पिता मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. पुजा पुत्री मोहन रावल जाति जोगी आयु नाबालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरीये संरक्षक माता शान्ता देवी पत्नि मोहन रावल जाति जोगी आयु बालिग निवासी कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

**वादीगण**

बनाम

1. पारस नाथ पिता शंकरनाथ जाति जोगी आयु बालिग निवासी भोपाल सागर तहसील भोपाल सागर जिला चित्तौडगढ फौत जरीये विधिक वारीस

1 जितेन्द्र पिता पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ फौत जरीये वारीसान

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

1/1 शान्ती योगी पत्नी जितेन्द्र आयु बालिग निवासी मकान नम्बर 34. बाला जी नगर, हाउसिंग बोर्ड, उषा ड्राईवींग स्कुल सेती चित्तौडगढ 312204
1/2 देवल योगी पिता जितेन्द्र आयु बालिग निवासी मकान नम्बर 34, बाला जी नगर, हाउसिंग बोर्ड, उषा ड्राईवींग स्कुल सेती चित्तौडगढ 312204
1/3 वरोनिशा उर्फ ईशा पुत्री जितेन्द्र आयु नाबालिग जरीये संरक्षक माता श्रीमती शान्ती योगी पत्नि श्री जितेन्द्र निवासी मकान नम्बर 34, बाला जी नगर, हाउसिंग बोर्ड, उषा ड्राईवींग स्कुल सेती चित्तौडगढ 312204

2 विशाल पिता पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ़
3 मधुमती पत्नी पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
4 सीमानाथ पुत्री पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
5 सोनिया पुत्री पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
6 निशा पुत्री पारस नाथ उर्फ पार्श्वनाथ योगी उर्फ जोगी हाल निवासी सेती चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ
7 तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरीये प्रतिनिधि राज्य सरकार
8 उप पंजीयक देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरीये प्रतिनिधि राज्य सरकार

**उपस्थित :—**
**वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता**
**प्रतिवादी की ओर से— अनुपस्थित।**

में इस आशय मे दिनांक 20/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द खाता संख्या 41 के खसरा संख्या 42/1, 42/3, 42/4, 43, 77, 78, 79, 211, 212, 213, 214 कुल किता 11 कुल रकबा 54 बीघा 05 विस्वा भूमि के जिसके नवीन खाता संख्या 40 आराजी संख्या 112, 113, 114, 115, 264, 265, 266, 267, 75 कुल किता 09 कुल रकबा 11.7200 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। साथ ही इस

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि में किसी बाधा साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी को अपनी भूमि में किसी बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)